



Neutral Citation No. - 2026:AHC:52171

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1052/2026

टीकाराम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 14 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सोमित शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, अपर शासकीय अधिवक्ता (सी.एस.सी.), हर्ष वर्धन गुप्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सोमित शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणेश कुमार सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 11 के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष वर्धन गुप्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव और प्रत्यर्थी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"एक आदेश पारित करें, जिसमें विद्वान सदस्य, राजस्व परिषद, सर्किट कोर्ट संख्या 2, आगरा मंडल, आगरा को वाद संख्या SA/469/2025/मथुरा (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AG2025015000469) (उदित मुनि एवं अन्य बनाम महेश कुमार एवं अन्य), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के अंतर्गत, एक विशिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बंटवारे के वाद से उत्पन्न द्वितीय अपील, जो याचिकाकर्ता एवं अन्य की ओर से दायर की गई थी, कानून के सारभूत प्रश्नों को तैयार करने के बाद 10.9.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। उन्होंने तर्क दिया कि लंबित द्वितीय अपील के शीघ्र निस्तारण के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश तालिका की प्रति भी प्रस्तुत की, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामला शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, सर्किट कोर्ट-2, आगरा मंडल, आगरा, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, अधिमानतः 6 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक शीघ्रता से तय करें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"